पटना में दिनांक–22 जनवरी, 2013 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. राज्य योजना से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ₹ 0.15 करोड़ सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 9.00 करोड़ तथा सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा ₹ 1.00 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 10.15 करोड़ (दस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र अनुदान के रूप में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए व्यय करने, सूद की राशि को योजना का अंश मानते हुए चयनित योजनाओं के लिये व्यय करने तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की वितरण सबसिडयरी कम्पनियों के अंतर्गत 13 नये ट्रॉसफरमर मरम्मति कर्मशाला की स्थापना करने हेतु 41.02 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 22.52 करोड़ (बाईस करोड़ बावन लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के लिए ऋण एवं सूद के पुनर्भुगतान की शर्तों की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन के पश्चात बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी के नाम से गैर योजना मद में नये उपशीर्ष खोले जाने के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से वित्तीय वर्ष 2012–13 के राज्य बजट में प्रावधानित राशि में अवशेष राशि को प्रत्यर्पित करते हुए गैर योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3046.55 लाख (तीस करोड़ छियालीस लाख पचपन हजार) रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

कृ०पृ०उ०

ऊर्जा विभाग

4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन के पश्चात बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के नाम से राज्य योजना मद में नये उपशीर्ष खोले जाने के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से वित्तीय वर्ष 2012–13 के राज्य बजट में प्रावधानित राशि में अवशेष राशि को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में 70947.23 लाख (सात सौ नौ करोड़ सैंतालिस लाख तेईस हजार) रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

5.	राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा में बिजली खपत पर विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	5.	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

6.	विघटित पर्षद एवं बाजार समितियों के बाजार प्रांगणों के उपयोग संबंधी नीति की कंडिका–2 IV में "परंतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०/बिहार राज्य भण्डार निगम/केन्द्रीय भण्डार निगम/भारतीय खाद्य निगम को प्रांगण की जमीन खाद्यान्न भण्डारण गोदाम निर्माण के लिए उपयोग हेतु दिया जा सकेगा। इस पर बनने वाले गोदाम का उपयोग संबंधित निगम द्वारा किया जायेगा, परंतु स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। इन मामलों में लीज पर जमीन हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित सरकारी एजेंसियाँ विघटित बाजार समिति के बाजार प्रांगण में गोदाम निर्माण तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था स्वयं की निधि से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में पी०पी०पी० मोड के माध्यम से नहीं करेंगे एवं भूमि/गोदाम का हस्तानान्तरण किसी अन्य एजेन्सी को नहीं किया जायेगा खाद्यान्न भण्डारण उपयोग की आवश्यकता समाप्ति पर भूमि एवं उस पर बनी संरचना राज्य सरकार को वापस हो जायेगी" परंतुक जोड़ने की स्वीकृति।	6.	**वापस लिया गया।**

क्र०पृ०उ०

जल संसाधन विभाग
(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

7.	सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के कर्मियों को दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

8.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 100.00 करोड़ (रूपये एक अरब) मात्र के अनुमानित व्यय पर समग्र गव्य विकास परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

9.	सरकारी गैर वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

10.	जिलास्कोर के माध्यम से फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायालय शुल्क स्टाम्प की बिक्री के लिए जिला स्कोर को देय कमीशन की दर में वृद्धि के लिए बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संशोधन) नियमावली, 2010 में संशोधन करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

11.	उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती नीति के संकल्प संख्या–396, दिनांक–05.02.2010 की कंडिका –9, 11 एवं 21 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12.	अरवल जिलान्तर्गत बल्क मिल्क कूलर की स्थापना हेतु अंचल–अरवल मौजा–चिरैया टाँड थाना नं०–19 खाता नं०–121 खेसरा नं०–373 रकबा–0.51 एकड़ गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

कृ०पृ०उ०

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. बक्सर जिलान्तर्गत चौसा अंचल के मौजा–खोरमपुर, थाना नं०–42, चक खाता सं०–87 विभिन्न खेसरों का कुल रकबा–6.30 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि विद्युत ताप गृह चौसा के निर्माण हेतु कुल 70,87,500/– रू० (सत्तर लाख सतासी हजार पाँच सौ) के भुगतान पर ऊर्जा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4852 दिनांक–21.12.2010 के कंडिका–II एवं III में उल्लिखित इस शर्त्त के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तांतरण किया जाय कि इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकर्त्ता के चयन के पश्चात् परियोजना हेतु भू–अर्जन पर होने वाले व्यय कि सम्पूर्ण राशि निजी निवेशकर्त्ता से वसूल कर इसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं भूमि अर्जन हेतु व्यय की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी। सम्पूर्ण राशि के वसूली के पश्चात् ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) द्वारा अर्जित भूमि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा–9 की उपधारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों/ हस्तकों की सूची के क्रमांक (v) में अंकित बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 को विलोपित करने एवं क्रमांक (ix) के बाद क्रमांक (x) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (xi) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 तथा (xii) बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 जोड़े जाने के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

कृ०पृ०उ०

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. बक्सर जिलान्तर्गत चौसा अंचल के मौजा–सिकरौल थाना नं०–41, चक खाता सं०–369, के विभिन्न खेसरों का कुल 1.29 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि विद्युत तापगृह चौसा के निर्माण हेतु कुल 14,51,250/–रू० (चौदह लाख इक्यावन हजार दो सौ पचास रूपये) के भुगतान पर ऊर्जा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4852 दिनांक–21.12.2010 के कंडिका– II एवं III में उल्लिखित इस शर्त्त के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तांतरण किया जाय कि इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकर्त्ता के चयन के पश्चात परियोजना हेतु भू–अर्जन पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण राशि निजी निवेशकर्त्ता से वसूल कर इसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं भूमि अर्जन हेतु व्यय की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी। सम्पूर्ण राशि की वसूली के पश्चात ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) द्वारा अर्जित भूमि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने के संबंध में।

15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चकिया अंचल के थाना नं०–128 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय प्रसौनी वृत खेम के भवन निर्माण, हेतु मौजा–मठ प्रमेशर खाता सं०–57 खेसरा नं०–41, अंश रकबा–0.20 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण करने के संबंध में।

16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर अंचल के मौजा–बोक्सा, थाना नं०–404, खाता नं०–513, खेसरा नं०–1447 रकबा–15 डीसमिल अनाबाद सर्वसाधारण किस्म भिण्डा भूमि, स्वास्थ्य उपकेन्द्र बोक्सा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

17. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

18. बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को गैर योजना मद से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1304.71 लाख रूपये (तेरह करोड़ चार लाख ईकहत्तर हजार) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

19. श्री श्याम प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता (असैनिक) को भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

20. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रू० 10781.46 लाख की राशि पर योजना की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

21. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 8 जिलों के 150 बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 150 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल रू० 5979.00 लाख की राशि पर योजना की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

22. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के लौह प्रभावित 9 जिलों के 150 बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 150 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल रू० 4572.00 लाख की राशि पर योजना की स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

वित्त विभाग

23. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.07.2012 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक–01.07.12 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

23. स्वीकृत।

विधि विभाग

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पेटिसन (सिविल) संख्या–496/2002 (सलेम एडवोकेट बार एशोसियेशन बनाम भारतीय संघ) में दिनांक–02.08.2005 को दिये गये निर्देश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा बनाये गये "The Patna Amendment of the Code of the Civil Procedure Rules" को अधिसूचित करने के संबंध में।

24. स्वीकृत।

कृ०पृ०उ०

शिक्षा विभाग

25. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प सं०–3268 दिनांक–5 नवम्बर 93 एवं संकल्प सं०–470 दिनांक–04.03.06 में सी० डब्लू० जे० सी० सं०– 7139/2004 बिहार माइनोरिटी / ऐडेड प्राईमरी टीचर्स एसोसिएसन, पटना बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.10.10 को पारित आदेश के आलोक में आर्थिक लाभ की तिथि में संशोधन के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26. खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर–योजना मद से सहायक अनुदान की राशि ₹ 2,00,000/–(दो लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

27. "बिहार विरासत विकास समिति" पटना को राज्य के मूर्त एवं अमूर्त्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत ₹ 50,00,000/–(पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 27. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

28. मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार (Advisor Culture) के पद का सृजन। — 28. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

29. ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 52,25,000/–(बावन लाख पच्चीस हजार रूपया) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 29. स्वीकृत।